# न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

**राजस्व वाद संख्याः— 15/2014**

**हरचन्दी पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी चिकसाना तह. व जिला भरतपुर। .....वादी**

**बनाम**

**राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर .....प्रतिवादी**

**दावा अन्तर्गत धारा 88—89—92(स) राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955**

## निर्णय

**दिनांकः— 16—10—2019**

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अंतर्गत धारा 88—89—92(स) आर.टी.ए. विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम चिकसाना तह. भरतपुर स्थित साविक खसरा नंबर 540 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा पर वादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। बंदोबस्त विभाग में वादी के साविक खसरा नंबर 540 का हाल खसरा नंबर 730/0.26 निर्मित किया है। जबकि वादी का खसरा नंबर 540 का पुराने क्षेत्रफल के अनुसार 0.33 है0 होना आवश्यक है। जबकि बंदोबस्त विभाग ने मात्र 0.26 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड में अंकित किया हैं । बंदोबस्त विभाग को किसी काश्तकार के रकबा को कम या ज्यादा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बंदोबस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटि से वादी को 0.07 है0 रकबे का नुकसान हो रहा है। वादी के अनपढ काश्तकार होने से वादी को बंदोबस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटि की अब तक जानकारी नहीं थी। पटवारी हलका द्वारा दिनांक 10.01.2014 को बताने पर वादी को यह जानकारी हुई है कि वादी का रकबा साविक के मुकाबले कम अंकित किया है । इसलिए वादी साविक खसरा नंबर 540 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के क्षेत्रफल के बराबर हाल खसरा नंबर के क्षेत्रफल को 0.33 है0 करा पाने का अधिकारी है।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी अपने साविक खसरा नंबर 540 रकबा 2बीघा 1 बिस्वा रकबा बराबर के क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 730 रकबा 0.26की बजाय 33 एयर दर्ज करा पाने का अधिकारी है। तथा राजस्व रिकार्ड को भी दुरुस्त करा पाने का मुस्तहक हैं। वादी ने अपने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा की पुष्टि में जमाबंदी संवत 2068–2071, 2032–2035 मिलान क्षेत्रफल व नक्शा पेश किये हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दि0 15.03.2016 को पैरोकार सरकार उपस्थित आये। किंतु जवाब हेतु बार–बार अवसर देने के उपरांत भी जवाब न आने पर । दिनांक 27.11.2018 को इनका जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई । साक्ष्य वादी में स्वयं वादी का शपथ पत्र पेश हुआ। अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की गई।

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। वादी का कथन है कि वाके ग्राम चिकसाना तह0 भरतपुर स्थित उसके साविक खसरा नंबर 540 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 730/0.26 निर्मित किया गया है वह 0.26 हैक्टे0 के स्थान पर 0.33 है0 होना चाहिए। जो गत रकबा के मुकाबले 0.7 हैक्टेयर कम आया है। वादी के उपरोक्त कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल से बखूबी प्रमाणित है। मिलान क्षेत्रफल से जाहिर है कि हाल खसरा नंबर 730/0.26गत खसरा नंबर 540 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा से ही बनाया गया है। किंतु वादी द्वारा इस प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की है कि उसके कम रकबा की पूर्ति किस रकबा से की जानी है। वादी द्वारा जिन खातेदार कृषकों के खसरा नंबरों से पूर्ति की जानी है उन्हें पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया है। इस प्रकार वादी अपने दावा को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। दावा वादी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः आज्ञा है कि**

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

Web Copy - Not Official